बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0सू0सं0–भवन / 10 / आरोप(आरा)–01 / 11–27........206 (भ)/ पटना, दिनांक– 8/1/18

:: अधिसूचना ::

श्री अवधेश कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सासाराम सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, अग्रिम योजना अंचल, भवन निर्माण विभाग के विरूद्ध भवन प्रमंडल, सासाराम के पदस्थापन काल में बरती गयी गम्भीर अनियमितता के लिये जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के पत्रांक–1977 दिनांक–16.07.2009 द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं आरोप प्रपत्र–''क'' के आलोक में श्री तिवारी से विभागीय पत्रांक–3669(भ0) दिनांक–11.05.2010 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय स्तर से आरोप प्रपत्र–''क'' गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9929(भ0) दिनांक–06.12.2012 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक–1120 दिनांक–06.12.2016 से विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में आरोप प्रपत्र–''क'' के आरोप संख्या–i, ii, iv एवं v को प्रमाणित तथा आरोप संख्या–iii एवं vi को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. अपर विभागीय जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के लिय विभागीय पत्रांक–2602(भ0) दिनांक–27.03.2017 द्वारा श्री तिवारी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

4. श्री तिवारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरान्त पाया गया कि अपने बचाव में उनके द्वारा आरोप को खंडित करने के संबंध में कोई नई बात नहीं कही गई है।

5. अतः संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर के समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अवधेश कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सासाराम सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, अग्रिम योजना अंचल, भवन निर्माण विभाग को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (I) एवं (IV) के तहत सरकार के निर्णयानुसार निम्न लघु दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) निंदन (आरोप वर्ष–2008–09)

(ii) तीन वर्षो से अनधिक अवधि के लिये, संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

8/1/2018

(रवि शंकर चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन / 10 / आरोप(आरा)–01 / 11–27........207 (भ)/ पटना, दिनांक– 8/1/18

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना वीरचन्द पटेल पथ / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन / रोहतास (सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/1/2018

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन / 10 / आरोप(आरा)–01 / 11–27 207 (भ) / पटना, दिनांक– 8/1/18

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई0–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

— सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन / 10 / आरोप(आरा)–01 / 11–27 207 (भ) / पटना, दिनांक– 8/1/18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / राजपत्रित स्थापना प्रशाखा–01 एवं 02, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / श्री अवधेश कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सासाराम सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, अग्रिम योजना अंचल, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

—सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन / 10 / आरोप(आरा)–01 / 11–27 207 (भ) / पटना, दिनांक– 8/1/18

प्रतिलिपिः–आ0ई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

9/1/18